स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट, विश्व बैंक परियोजना
उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश (भोपाल फोन नं.- 0755-4001680)
192, एवीएन टॉवर, मेजनाइन फ्लोर, जोन -1, एम.पी.नगर भोपाल
ई-मेल : spdmpwb@gmail.com

क्रमांक 459 / वि. बै परि /2022 भोपाल, दिनांक 27/05/2022

प्रति,

प्रबंध संचालक,
म.प्र. आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम,
भोपाल (म.प्र.)

विषय : विश्व बैंक परियोजना अंतर्गत शास. इंदिरा गांधी गृह विज्ञान महाविद्यालय, शहडोल एवं शास. होलकर विज्ञान महाविद्यालय, इंदौर में डिजिटल स्टुडियो स्थापित किए जाने के संबंध।

संदर्भ :- 1. इस कार्यालय का पत्र क्र. 458/वि.बै.परि./2022 दिनांक 11.02.22 ।
2. कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 24.05.2022 के निर्णय के संबंध में।

-00-

विषयांतर्गत संदर्भित में लेख है कि विश्व बैंक परियोजना अंतर्गत अंतर्गत शास. इंदिरा गांधी गृह विज्ञान महाविद्यालय, शहडोल एवं शास होलकर विज्ञान महाविद्यालय, इंदौर में डिजिटल स्टुडियो स्थापित किये जाने हेतु आपके द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 24.05.2022 में लिए गए निर्णय अनुसार महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अनुशंसित एवं निगम द्वारा तकनीकी स्वीकृति सहित प्राप्त प्रस्ताव अनुसार डिजिटल स्टुडियो की स्थापना हेतु अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	प्रशासकीय स्वीकृत राशि (सुपरविज़न चार्ज 6% सहित तथा कर अतिरिक्त)
1.	शास. इंदिरा गांधी गृह विज्ञान महाविद्यालय, शहडोल	34.99
2.	शास. होलकर विज्ञान महाविद्यालय, इंदौर	36.62

SE-I 12 19.7.22

शर्तें -

1. निर्माण कार्य के दौरान विश्व बैंक की गाईडलाईन अनुसार एनवायरमेंट एवं सोशल फ्रेमवर्क का विशेष ध्यान रखा जावे।
2. निर्माण कार्य की गुणवत्ता के मापदंड S.I.B भूमि विकास अधिनियम .C.R.I.,C.B.N.,D.W.P.C. आदि का विशेष ध्यान रखा जावे।
3. निर्माण कार्य पूर्ण कर महाविद्यालय को डिजिटल स्टूडियो के हस्तांतरण की कार्यवाही अधिकतम 03 माह में किया जावे।
4. निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के उपरांत प्रति पाक्षिक प्रतिवेदन भौतिक एवं फाईनेंशियल की अद्यतन स्थिति संबंधित महाविद्यालय तथा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जावे।

निर्माण कार्य की स्थिति अथवा किसी कार्य /कारण अनुसार यदि राशि/आवंटन में परिवर्तन होता है तो उसकी अनुमति राज्य परियोजना संचालनालय ,उच्च शिक्षा विभाग से अनिवार्य रूप से ली जाये।

6. निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा आदि नियमों का पालन किया जावे।
7. उपयोग की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें।
8. किसी भी प्रकार की अनियमितता ,व्यय/भुगतान की जिम्मेदारी निर्माण एजेंसी की होगी।

(दीपक सिंह)
आयुक्त,
उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक 1460 / वि. बैं.परि /2022 भोपाल, दिनांक 27 /05/2022

प्रतिलिपि :

1. निज सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, म.प्र. शासन
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, म. प्र.।
3. प्राचार्य, संबन्धित शासकीय महाविद्यालय।
4. वित्त नियंत्रक, रूसा एवं विश्व बैंक परियोजना।

आयुक्त
उच्च शिक्षा विभाग